



## न्यायालय सहायक कलेक्टर, सांचौर, जिला - जालोर

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
अन्तर कंवर बैवा लक्ष्मणदान जाति चारण निवासी भुवाना तहसील सांचौर जिला जालोर ।		जबरदान पुत्र दुर्गदान जाति चारण निवासी भुवाना तहसील सांचौर जिला जालोर वगैरा ।

किस्म मुकदमात :- अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सीपीसी ।

मुकदमा नं.- 12 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
14.11.2025	<p>प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सीपीसी प्रस्तुत किया। कार्यालय टिप्पणी का अवलोकन किया। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 17.12.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपसहायक कलेक्टर सांचौर (जालोर)</p>	
17.12.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिकृत डिप्टी मजिस्ट्रेट/असिस्टेंट/असिस्टेंट की ओर से अधिकृत श्रीपाल दत्त द्वारा कमलतोगा पेश किया जिसे शाहिद मिशाल दिया गया। अर्जी संख्या-1 लगात 4 एवं 8 लगात 8 वाक्यूड तालीम (मूचगा) के अंगुपस्थित। रूक-रूक कर तीन बार आनाज लगवाई गई, वाक्यूड इसके कोश अस्थित नहीं। अतः अर्जी संख्या-1 लगात 4 एवं 8 लगात 8 के विरुद्ध खपक्षीय शायिगी अमल में लाई जाते हैं। प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सीपीसी बरफ पुनी रखी। अधिकृत प्रार्थी के अनुसार अनन्त प्रमाण में जत तारीख पेशी दिनांक 08.10.2025 को अस्थित न्यायालय केगा था, पलतु अर्जीपत्र पेशी करने तथा उनके अधिकृत की अस्वल्प</p>	<p>कोर्ट भारतीयी असिस्टेंट</p>

  
उपसहायक अधिकारी  
सांचौर (जालोर)

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज

नम्बर व  
अहकाम  
हुक्म की  
जारी हुए

होने के कारण न्यायालय राजा में हाजिरी  
 नहीं थे सके, जिसके कारण जर्बिया की  
 फतावली खसूनवाग अन्त कंवर कोह बगम  
 जबरदान कोह अदम हाजिरी अदम पैली  
 में खरिज की गई। जर्बिया ने न्यायालय  
 राजा में आम पता दिया तो ज्ञात हुमा  
 कि उक्त मुद्दा जर्बिया की फतावली अदम  
 हाजिरी अदम पैली में खरिज की जा  
 चुकी है। जर्बिया की अस्पष्टता का  
 कारण उचित है जिन कारण फतावली रेस्ते  
 दिया जाया जापसगत है कतः निवेदन है कि  
 फतावली अरोमा अन्त का रेस्ते दान  
 का आदेश प्रदावे।

अधिकृत अर्जा संख्या-5  
 की ओर से उक्त जर्बिया-या रेस्ते  
 दिए जाने में कोई अफासि जाहिरी नहीं  
 की उद्येने अज्ञाता की गई है।

होने अधिकृत जर्बिया की बहस  
 पूर्ण गई एवं उस पर मनन किया गया।  
 फतावली एवं उस पर मौजूद दस्तावेजात का  
 जली त्रांति अस्पष्ट न अन्तलोकन किया गया।  
 जर्बिया द्वारा अपने मुद्दों में भी पैरवा के  
 लिए अधिकृत निष्पत्त दिया हुआ है। अधिकृत  
 का पद नैतिक दायित्व है कि जो उमरा  
 में अज्ञाति से अपने पक्षमा को अज्ञात  
 उराते तथा पक्षमा को अपने मुद्दों में की

उपखण्ड अधिकारी  
 सांभर (जांबोर)  
 1.7.0.

17/12/2025 संख्या :- 12/2025

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए।

लेबर लजय रहे। शर्षीया ३ अदालत पेशी पर अस्पष्टता के लिए अधिवक्ता द्वारा आश्चर्य कि या जाग या इस वजह से को निर्धारित तारीख पेशी पर अस्पष्टता नहीं सा लका। अधिवक्ता द्वारा निर्धारित तारीख पेशी पर अस्पष्टता नहीं केना केवल इस आधार पर शर्षीया को न्याय से वंचित करण उचित प्रतीत नहीं होता है। दावे में अदम हाजिरी अदम पेशी में खारिज क्षेत्र की जानकारी प्राप्त लप हान में काने पा प्रिजी।

कतः शर्षीया ३ अधिवक्ता के स्तर पर हुई किसी तनुकीर्षी गुरि के आकाए पर न्याय से वंचित करण उचित नहीं है तथा प्रकण के सम्पूर्ण एन अतिम निस्कार के लिए उचित गुणावयुग पर निर्धारित किमा जाग आवश्यक है। शर्षीया पर अन्तर्गत आदेश ०१ दिनांक ०४ दी. पी. सी. स्वीकार किमा जाग प्रूल फ्राक्ली बकाया अन्तर केक कोह बगम खबरदाग कोह प्रुम्मा संख्या - ५३/२०२५ की प्रुः नम्बर पर लेने के आदेश दिने जाते हैं। प्रूल फ्राक्ली दिनांक को पेशी के। अन्तर्गत निर्धारित दिनांक को न्यायालय में अस्पष्टता है। निर्णय अज दिनांक 17.12.2025 को सर-ए-इजलाह तुलाफा

मुखण्ड अधिकारी सांचौर (जालोर)

P.T.O.

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज

नाम  
अधिकारी  
हुक्म  
मं जज

जमा।

फ्रावली डेटल शुमार केमा  
नाबर से कुम की जाबर दाखिल दाखल  
के।

उपखण्ड अधिकारी  
सांचीर (जालोर)